न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
पीठासीन अधिकारी : **अनिल कुमार–X (उच्चतर न्यायिक सेवा)**
J.O. Code — UP6522
सत्र परीक्षण सं०–383/2023
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या–1958/2023
(CNR No UPGZ010106482023)

सरकार .... बनाम .... विकास आदि
मुकदमा अपराध संख्या–1508/2021
धारा– 498A, 313, 323, 406, 504, 506 भा०द०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

08.09.2023

पत्रावली आदेश हेतु नियत है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 7 ख, 9 ख एवं 13 ख धारा 227 द०प्र०सं० पर सुना जा चुका है।

2. आवेदक/अभियुक्त विकास की ओर से प्रार्थनापत्र 7 ख अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का विवाह वादिनी अंजली पुत्री वीरपाल के साथ दिनांक 01.12.2020 को बिना दान दहेज के साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था। आवेदक/अभियुक्त वादिनी को शादी के उपरान्त अपने निवास पर लाया और हर संभव खुश रखने का प्रयास किया। आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार ने कभी वादिनी को कम दहेज के ताने नहीं दिये और न ही आई–20 कार की मांग की। आवेदक/अभियुक्त ने उक्त केस से सम्बन्धित कोई घटना कारित नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कभी वादिनी से दहेज की मांग नहीं की और न ही मारपीट करके गर्भ गिराने का प्रयास किया, न ही जान से मारने की धमकी दी, न ही गाली गलौंच व मारपीट की और न ही आवेदक/अभियुक्त के पास वादिनी का स्त्रीधन है, न ही दहेज के लिए कभी प्रताड़ित किया, बल्कि वादिनी ने धमकी दी कि या तो सारी सम्पत्ति उसके नाम करो वरना वह उसे किसी बच्चे का बाप नहीं बनने देगी और इसी जिद के जलते स्वयं गोली खाकर गर्भपात किया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध जिस दिनांक की घटना वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित की है उस दिन आवेदक/अभियुक्त घर पर नहीं था, बल्कि अपनी डयूटी पर था, जिसका प्रमाणपत्र भी अपने जमानत प्रार्थनापत्र के साथ दाखिल किया था। वादिनी ने स्वयं व अपने पिता व परिवार (मायके वालों) की सहमति से गर्भपात कराया होगा। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.09.2021 को या अन्य किसी तिथि को कोई मारपीट नहीं की। वादिनी एक अति चतुर , चालाक किस्म की महिला है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध घटना की बावत कोई स्वतंत्रजन साक्षी नहीं है। वादिनी द्वारा जो डाक्टरी प्रमाणपत्र दाखिल किया है जिसमें घटना किसी ओर दिन की दर्शित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य तिथि की घटना दर्शित है। जिस कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट व डाक्टरी प्रमाणपत्र में विरोधाभास है। वादिनी ने जो अल्ट्रासाउण्ड एवं अन्य रिपोर्ट लगायी है वह सभी नोर्मल हैं। गर्भपात कराने का कोई कारण दर्शित नहीं है। उक्त मुकदमा दर्ज कराने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त व उक्त वादिनी के मध्य धारा 125 सी.आर.पी.सी. के वाद में आपसी समझौते के आधार पर एक साथ रहने का फैसला हो गया, जिसके आधार पर वादिनी आवेदक/अभियुक्त के साथ आयी, किन्तु 15 दिन आवेदक/अभियुक्त के साथ रहने के उपरान्त सम्पत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने लगी। वादिनी अपनी जिद को पूरा कराने के लिए आवेदक/अभियुक्त व उसके परिवार को तंग व परेशान करने के लिए झूंठे मुकदमें दर्ज कराती रहती है तथा तरह–तरह से मानसिक व आर्थिक रूपसे प्रताड़ित कर रही है। आवेदक/अभियुक्त ने कथित अपराध कारित नहीं किया है मात्र पति होने के कारण झूंठा फंसाया गया है। निवेदन किया

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.09.08 15:53:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र को निरस्त किया जाए।

3. आवेदक/अभियुक्तगण बालकिशन एवं उर्मिला की ओर से प्रार्थनापत्र 9 ख अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण के पुत्र विकास का विवाह वादिनी अंजली के साथ दिनांक 01.12.2020 को बिना दान दहेज के साधारण तरीके से सम्पन्न हुआ था। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गयी और न ही मारपीट करके गर्भ गिराने का प्रयास किया और न ही गाली गलौंच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी है और न ही आवेदक/अभियुक्तगण के पास वादिनी का स्त्रीधन है। वादिनी व उसका पति विकास शादी के बाद से ही आवेदक/अभियुक्तगण से अलग किराये का मकान लेकर रहने लगे और वादिनी ने आवेदक/अभियुक्तगण पर सारी सम्पत्ति अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया। आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्रजन साक्षी नहीं है। निवेदन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र को निरस्त किया जाए।

4. आवेदक/अभियुक्तगण बालकिशन एवं उर्मिला की ओर से पुनः प्रार्थनापत्र 13 ख अभियुक्तगण को आरोप से उन्मोचित किये जाने तथा तलबी आदेश को निरस्त करने हेतु योजित किया गया है तथा प्रार्थनापत्र 9 ख में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कभी भी वादिनी से दहेज की मांग नहीं की और न ही मारपीट करके गर्भ गिराने का प्रयास किया और न ही जान से मारने की धमकी दी। वादिनी तथा उसका पति विकास शादी के बाद से ही आवेदक/अभियुक्तगण से अलग किराये का मकान लेकर रहने लगे। यह भी कहा है कि आवेदक/अभियुक्तगण को वादिनी के गर्भपात होने की जानकारी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त डयूटी पर था। माता पिता से अलग रहते हैं और गर्भपात कराने के 3–4 दिन पहले अपने मायके में रह रही थीं। डाक्टर द्वारा दिये गये बयान में केस डायरी के पर्चा नम्बर–10 में डाक्टर द्वारा कारण स्पष्ट नहीं है। न्यायालय को भ्रमित करके धारा 313 भा०द०सं० अंकित करा ली है। जबकि विवेचना अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच करके व साक्ष्य के आधार पर 313 भा०द०सं० को हटाया गया है जो कि सही है। निवेदन किया गया है कि आरोपपत्र एवं तलबी आदेश को निरस्त किया जाए।

5. उ०प्र० राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उक्त प्रार्थनापत्रों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि उक्त मामले में विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित किया गया है और पर्याप्त साक्ष्य संकलित किये जाने के उपरान्त ही अभियुक्तगण विकास, बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला के विरूद्ध धारा 498A, 323, 504, 406, 506 भा०द०सं० एवं ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के साथ ही साथ धारा –313 भा०द०सं० पर भी संज्ञान लिया गया है। केस डायरी में वादिनी अंजली ने अपने बयान में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब वह दो माह की गर्भवती थी तो उसके पति विकास ने उसे जीने से धक्का दे दिया। जब वह पांच माह की गर्भवती थी तो पुनः उसके पति ने लात घूसों से उसके साथ मारपीट की और उसके पेट में अत्यधिक दर्द रहने लगा। उसके ससुर बालकिशन, सास उर्मिला एवं पति विकास व जेठानी ने लात घूसों से मारपीट की और जब उसे होश आया तो वह डाक्टर के पास थी। वादिनी अंजली का अल्ट्रासाउण्ड करने वाले डाक्टर ने बताया कि उक्त गर्भपात दवाई खाने या चोट लगने या गिरने या प्राकृतिक कारणों से आ सकती है। वादिनी ने अभियुक्तगण द्वारा उसे चोट पहुंचाने का उल्लेख किया है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाए।

6. मेरे द्वारा पत्रावली एवं संलग्न केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

7. उक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती अंजली द्वारा दिनांक 06.11.2021 को थाना विजयनगर पर अभियुक्तगण विकास, बालकिशन, श्रीमती उर्मिला, दिनेश, श्रीमती लक्ष्मी एवं राधा के विरूद्ध धारा 498A, 313, 323, 504, 325, 406, 506 भा०द०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत करायी गयी है तथा वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा है कि उसका विवाह दिनांक 01.12.2020 को विकास पुत्र बालकिशन के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। उसके पिता ने शादी में लगभग 20 लाख रूपये खर्च किये थे। वादिनी से आई–20 फोर व्हीलर की मांग की गयी। विकास अपनी भाभी के साथ अवैध सम्बन्ध में रह रहा है। उसके ससुर बालकिशन उसके साथ कई बार बलात्कार का प्रयत्न कर चुका है तथा कई प्रकार के अश्लील इशारे भी करते थे। उसकी ननद राधा एवं सास उर्मिला कम दान दहेज का ताना देती है। जब वादिनी दो माह की गर्भवती थी तो उसके पति विकास ने उसे जीने से धक्का दे दिया और उसे गम्भीर चोट आयी और आगे से दो दांत टूट गये और उसके मायके भेज दिया, वादिनी ने अपने दोनों दांत आर्टिफिशयल लगवाये। जब वादिनी पांच माह की गर्भवती थी तो दिनांक 11.07.2021 को पुनः लात घूसों से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके पेट में अत्यधिक दर्द रहने लगा तथा दिनांक 13.07.2021 को ससुर बालकिशन व सास उर्मिला व पति विकास व जेठानी ने उसकी लात घूसों से मारपीट की तथा उसके पेट में कई लात मारी जिससे वह बेहोश हो गयी। उसके पति व सास डाक्टर के पास ले गये थे उक्त लोगों ने वादिनी के साथ मारपीट करके उसके पेट में पल रहे बच्चे की हत्या कर दी। दिनांक 29.09.2021 को उसके साथ पुनः मारपीट की गयी तथा ससुर बालकिशन ने उसकी छाती पर बैठकर उसका गला दबाया।

8. उक्त मामले में विवेचना प्रारम्भ हुई और विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त दिनांक 10.05.2022 को धारा 313 व 325 भा०द०सं० का विलोपन करते हुए अभियुक्तगण विकास, बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला के विरूद्ध धारा– 498A, 323, 504, 406, 506 भा०द०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। वादिनी की ओर से आरोपपत्र पर संज्ञान लिये जाने के दौरान ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 190 द०प्र०सं० प्रस्तुत किया गया जिस पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं 498A, 323, 504, 406, 506 भा०द०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के साथ धारा 313 भा०द०सं० पर संज्ञान लिये जाने का आदेश पारित किया।

9. उन्मोचन प्रार्थनापत्र में अभियुक्तगण विकास, बालकिशन व उर्मिला के द्वारा मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि घर में शांति बनाये रखने के लिए अभियुक्तगण बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला ने अपने पुत्र विकास एवं पुत्रवधू अंजली को अपने से अलग कर दिया जिसके कारण वह दोनों किराये के मकान में अलग रहने लगे। अभियुक्तगण के द्वारा वादिनी के साथ न तो कोई मारपीट की गयी और न ही कोई गर्भपात कराया गया। इस संदर्भ में केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी में वादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० में उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज की मांग व मारपीट करने का आरोप लगाया है। यह भी आरोप लगाया है कि जब वह पांच माह की गर्भवती थी तो दिनांक 11.07.2021 को उसके साथ मारपीट की गयी जिसके कारण उसके पेट के गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गयी। अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 भा०द०सं० में भी वादिनी ने यह बताया कि जब वह पांच माह की गर्भवती थी तो उसकी सास, पति, जेठानी व ननद ने उसके पेट पर लात मारी जिससे वह बेहोश हो गयी और उसका मिसकेरेज हो गया। केस डायरी में डाक्टर जयवीर सिंह के बयान का अवलोकन किया गया जिनके द्वारा बताया गया कि वादिनी अंजली दिनांक 13.07.2021 को उनके नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी और मरीज ने बताया था कि उसके पेट में दर्द है और बहुत ब्लीडिंग हो रही है। इसके पश्चात डाक्टर ने वादिनी का

अल्ट्रासाउण्ड कराया और उनके नर्सिंग होम की लेडी डाक्टर ने गर्भपात की सलाह दी तथा उक्त सलाह पर गर्भपात किया गया। डाक्टर ने अपने बयान में बताया है कि उक्त गर्भपात दवाई खाने या चोट लगने या गिरने या प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है।

10. केस डायरी में वादिनी के बयानों से यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा दहेज हेतु वादिनी को शारीरिक रूपसे प्रताडित किया जाता रहा है और गर्भावस्था के दौरान भी उसके साथ मारपीट की गयी है। केस डायरी में पीडिता का जिस अस्पताल में गर्भपात हुआ है, के डाक्टर का बयान अंकित है तथा अल्ट्रासाउण्ड दिनांकित 13.07.2021 की आख्या भी संलग्न है। इस प्रकार वादिनी के मौखिक बयान से शारीरिक प्रताड़ना की बात प्रथम दृष्टया प्रकट होती है। प्रार्थनापत्र 13 ख में अभियुक्तगण बालकिशन व उर्मिला ने यह उल्लेख किया है कि अभियुक्त बालकिशन गर्भपात की घटना के दिन डयूटी पर था जिसकी प्रमाणित प्रति आर.टी.आई. दाखिल की है। वादिनी व उसके पति अभियुक्तगण से अलग रहते थे तथा वादिनी गर्भपात कराने के तीन चार दिन पहले अपने मायके में रह रही थी। डाक्टर द्वारा दिये गये बयान में गर्भपात का कारण स्पष्ट नहीं है। वादिनी के द्वारा गर्भावस्था में अभियुक्तगण के द्वारा चोट पहुंचाने की बात एवं गर्भपात की बात डाक्टर जयवीर सिंह के बयान तथा अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट से प्रकट हो रही है। डाक्टर जयवीर सिंह के द्वारा गर्भपात के कई कारण बताये गये हैं, परन्तु वादिनी के द्वारा उक्त गर्भपात का कारण अभियुक्तगण के द्वारा की गयी मारपीट से होना बताया गया है। इसी प्रकार जहां तक अभियुक्त बालकिशन के द्वारा यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि वह घटना के दिन डयूटी पर था, यह साक्ष्य Plea of alibi के अन्तर्गत आता है। उक्त साक्ष्य अभियुक्तगण के बचाव का साक्ष्य है जिसे वे परीक्षण के समय प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्मोचन के स्तर पर Plea of alibi पर विचार नहीं किया जा सकता है।

11 अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण विकास, बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला के विरूद्ध धारा– 498A, 313, 323, 504,,406, 506 भा०द०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 7 ख, 9 ख तथा 13 ख निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त विकास की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 7 ख अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० तथा आवेदक/अभियुक्तगण बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र संख्या 9 ख व 13 ख अन्तर्गत धारा 227 द०प्र०सं० निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण विकास, बालकिशन एवं श्रीमती उर्मिला के विरूद्ध धारा– 498A, 313, 323, 504,,406,506 भा०द०सं० एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक 22.09.2023 को पेश हो। नियत दिनांक पर अभियुक्तगण आरोप विरचन हेतु न्यायालय में उपस्थित रहेगें।

(अनिल कुमार–X)

दिनांक 08.09.2023

सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।